UPSC Daily Current Affairs 29 Jul 2021

तोड़फोड़ के कार्यों से छूट नहीं: SC

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- राजनीतिशास्त्र, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में निर्णय दिया कि संसद सदस्य और विधायक संसद अथवा विधानसभा में आपराधिक कार्यों में लिप्त होने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सहारा नहीं ले सकते हैं।
- न्यायालय ने केरल सरकार की उस याचिका को ठुकरा दिया जिसमें 2015 में एक बजट भाषण के दौरान विधानसभा में सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ के आरोपी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) के बड़े नेताओं पर अभियोजन को वापस लेने की बात कही गई थी।

न्यायालय के विचार

- तोड़फोड़ की कार्रवाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का परिलक्षण नहीं माना जा सकता है और न ही विधानसभा की प्रक्रियाएं माना जा सकता है।
- संविधान के निर्माताओं की यह नियति नहीं थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या के दायरे में आपराधिक कार्यों को शामिल करके उसे विरोध प्रदर्शन के पर्दे के पीछे छिपाया जाए।
- संसदीय विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाएं संसद सदस्यों और विधायकों के लिए देश के कानून के ऊपर होने का दावा करने का मार्ग नहीं खोलती हैं, विशेष रूप से आपराधिक कानून के मामले में, ऐसा निर्णय देने वाले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा।

संबंधित सूचना

संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में जानकारी

- कुछ खास विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाएं संसद के सदस्यों को मिलती हैं, जो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही स्तर पर होती हैं, जिससे वे प्रभावी तौर पर अपने कार्य को कर सकें।
- इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में और राज्य विधायिकाओं के लिए अनुच्छेद 194 में व्याख्यायित किया गया है।

- जब ऐसे किसी अधिकार अथवा प्रतिरक्षा का अपमान होता है, तो इस अपराध को विशेषाधिकार का हनन कहते हैं और यह संसद के कानून के अंतर्गत दंडनीय है।
- इसके अतिरिक्त, लोकसभा की नियम किताब के अध्याय 20 की नियम संख्या 222 और राज्यसभा की नियम किताब के अध्याय 16 के अनुरूप विशेषाधिकार पर कार्रवाई होती है।

विशेषाधिकार समिति के बारे में जानकारी

- इस समिति के कार्य अपनी प्रकृति में अर्ध-न्यायिक हैं।
- यह सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है और उपयुक्त कार्रवाई की अनुशंसाएं करती है।

सदस्य

- लोकसभा समिति में 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य हैं।

गरीब नवाज़ रोजगार योजना

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन, स्रोत- PIB)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री ने संसद में जवाब दिया कि पूरे देश में गरीब नवाज़ रोजगार योजना के अंतर्गत कुल 371 प्रशिक्षण केंद्रों को खोला गया था।

गरीब नवाज़ रोजगार योजना

- इसे 2017 में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय ने शुरू किया था।
- मौलाना आजाद एडुकेशन फाउन्डेशन, जो अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, इस योजना का क्रियान्वयन करता है।
- इस योजना का मुख्य लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए लघु अवधि के रोजगारोन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराना है जिससे वे कौशल आधारित रोजगार के लिए सक्षम बन सकें।
- यह योजना मनोनीत कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियों (PIAs) के द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमता (MSD&E) के सामान्य मानदंडों के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है।

- मनोनीत कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियां के पास कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं में से कम से कम 70% प्रशिक्षुओं को नियोजन देने का शासनादेश है।
- अधिकतम तीन महीनों के लिए के लिए माहवारी वृत्ति और अधिकतम दो महीनों के लिए नौकरी प्राप्त करने के बाद धन का समर्थन, ये राशि लाभ प्राप्त करने वाले के खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी जाती है।

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अन्य योजनाएं

- नई मंज़िल (विद्यालय छोड़ने वालों की औपचारिक कौशल वृद्धि के लिए)
- नई रोशनी (अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए)
- बेगम हज़रत महल बालिका छात्रवृत्ति
- उस्ताद (विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/हस्तशिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन)
- गरीब नवाज़ कौशल विकास योजना

संसद ने ऐतिहासिक 'नौवहन समुद्री सहायता विधेयक 2021' पारित किया

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- संसद ने हाल में नौवहन समुद्री सहायता विधेयक 2021 पारित किया है।

विधेयक की प्रमुख खास बातें

- इस विधेयक का लक्ष्य समुद्री नौवहन की अत्याधुनिक तकनीकों को अंगीकार करना है जिन्हें पुराने लाइटहाउस कानून 1927 के वैधानिक प्रावधानों के तहत नहीं शामिल किया गया था।

अनुप्रयोग

- यह विधेयक पूरे भारत पर लागू होता है जिसमें विभिन्न समुद्री क्षेत्र शामिल हैं जैसे समुद्री सीमा, महाद्वीपीय सीमा, और विशेष आर्थिक ज़ोन।

नौवहन को सहायता

- यह विधेयक नौवहन को सहायता को एक उपकरण, प्रणाली, अथवा सेवा के रूप में परिभाषित करता है जो समुद्री पोतों से बाहर हैं जिन्हें समुद्री पोतों और समुद्री यातायात के नौवहन की सुरक्षा और क्षमता को उन्नत करने के लिए डिजाइन और संचालित किया जा रहा है।
- समुद्री पोत में समुद्री जहाज, नौकाएं, तैरने वाले पोत, मछली पकड़ने वाले पोत, सबमर्सिबल और मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग करने वाली इकाईयां शामिल हैं।
- पोत यातायात सेवा को ऐसी सेवा के रूप में परिभाषित करते हैं जो पोत यातायात की क्षमता और सुरक्षा में सुधार करती है और पर्यावरण को संरक्षित करती है।

नौवहन सहायता महानिदेशक

- यह विधेयक कहता है कि केंद्र सरकार निम्न को नियुक्त करेगी
    a. महानिदेशक
    b. उप महानिदेशक
    c. जिलों के लिए निदेशक (जिनका सीमांकन केंद्र कर सकता है)।
- महानिदेशक अन्य चीजों के अतिरिक्त नौवहन को सहायता से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देगी।

केंद्रीय परामर्शदात्री समिति

- केंद्र सरकार एक केंद्रीय परामर्शदात्री समिति (CAC) की नियुक्ति कर सकती है जिसमें विधेयक द्वारा प्रभावित हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होंगे, अथवा वे व्यक्ति होंगे जिनको क्षेत्र का विशेष ज्ञान होगा।

लाभ:

- नया कानून भारतीय तटरेखा पर समुद्री नौवहन और पोत यातायात सेवाओं को सहायता देने के कार्य को सुगम, सुसंगत और प्रभावी बनाएगा।

लाभों में शामिल हैं:

- नौवहन और पोत यातायात सेवाओं को सहायता देने से संबंधित मामलों के लिए सुधरा हुआ कानूनी ढांचा और इसमें समुद्री नौवहन के क्षेत्र में भविष्ट के विकास शामिल हैं।
- जहाजरानी की सुरक्षा और क्षमता के उन्नयन के लिए पोत यातायात सेवाओं का प्रबंधन और पर्यावरण का संरक्षण करना।

- नौवहन को सहायता के संचालकों के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन के द्वारा कौशल विकास और अंतरराष्ट्रीय मानकों के समतुल्य 'पोत यातायात सेवाएं'।
- वैश्विक मानकों के समतुल्य प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण की जरूरत को पूरा करने के लिए संस्थानों का लेखा परीक्षण और प्रत्यायन।
- सुरक्षित और सक्षम नौवहन के लिए डूबे/फंसे हुए पोतों की पहचान के लिए सामान्य समुद्र में "जहाज के मलबे" का चिन्हांकन।
- शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन के उद्देश्य के लिए लाइटहाउसों का विकास, जो तटीय क्षेत्रों की पर्यटन संभावनाओं का दोहन करेंगे और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देंगे।

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- शिक्षा, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत की।

एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में जानकारी

- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसे ABC कहा जाता है, एक वर्चुअल भंडारघर है जो छात्र द्वारा पाए गए अकादमिक क्रेडिटों का रिकॉर्ड रखेगा।
- इसे राष्ट्रीय अकादमिक भंडार के अनुरूप ही तैयार किया गया है।
- यह एक व्यावसायिक बैंक के रूप में कार्य करेगा जहां छात्र ग्राहक होंगे और ABC इन छात्रों को कई सेवाएं देगा। छात्रों को एक अकादमिक बैंक खाता खोलना होगा व प्रत्येक खाताधारक को एक विशिष्ट पहचान और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) उपलब्ध कराया जाएगा।
- छात्रों के अकादमिक खाते में उनके द्वारा किये जा रहे पाठ्यक्रमों के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा दिए गए क्रेडिट होंगे।
- लेकिन, ABC किसी छात्र और उसके संस्थान से सीधे क्रेडिट पाठ्यक्रम दस्तावेज स्वीकार नहीं करेगा जो छात्र के खाते में जमा करेगा।

उपयोग

- यह छात्रों के अकादमिक खातों को खोलने, बंद करने और मान्यता देने के लिए जिम्मेदार होगा। यह अन्य कार्य भी करेगा जिसमें छात्रों के क्रेडिट का सत्यापन, क्रेडिट का संग्रहण, क्रेडिट हस्तांतरण/मोचन और हितधारकों के मध्य ABC का संवर्धन भी शामिल होगा।
- पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन और दूरस्थ प्रकार के पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे जिन्हें SWAYAM, NPTEL, V-Lab इत्यादि जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- छात्रों द्वारा हासिल किए गए अकादमिक क्रेडिटों की मान्यता सात वर्षों के लिए होगी।
- इसकी मान्यता विषयों के आधार पर बदल सकती है।
- **छात्र इन क्रेडिटों का मोचन कर सकते हैं।**

यह कैसे कार्य करता है?

- उदाहरण के लिए, यदि एक छात्र ने 100 क्रेडिटों का संग्रहण कर लिया है जो कह लीजिए यह एक वर्ष के समतुल्य हैं यदि वे हटने का निर्णय लेते हैं।
- एक बार वे फिर से जुड़ने का निर्णय लेते हैं तो वे इन क्रेडिट का मोचन कर सकते हैं और किसी भी विश्वविद्यालय में दूसरे वर्ष सीधे प्रवेश हासिल कर सकते हैं।

वैधता

- इसकी वैधता सात वर्षों के लिए होगी; इसलिए, छात्रों को सात वर्षों के अंदर फिर से जुड़ना होगा।

<u>शिक्षा संस्थाओं पर प्रभाव</u>

- ABC योजना में भागीदारी करने वाले HEIs छात्रों को अपने चयन के अनुसार अपनी डिग्रियों के निर्माण में सक्षम बनाएंगे।
- भागीदारी करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम पंजीकरण, पाठ्यक्रम जरूरतों, अंतर-विषयी और बहुविषयी पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकृति, इन पाठ्यक्रमों को दी जाने वाली क्रेडिटों, क्रेडिट हस्तांतरण, अन्य स्वीकृत संस्थानों से क्रेडिटों को स्वीकार करने के संदर्भ में अपने नियमों में संशोधन करना होगा।
- UGC के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को छात्रों को किसी संस्थान से डिग्री को दी गई क्रेडिटों के 50-70% क्रेडिटों को प्राप्त करने की अनुमति देनी होगी।
- छात्र अपनी जरूरतों के अनुसार इस अवसर को ले सकते हैं।

- छात्र जो संस्थान में परिवर्तन का चुनाव करते हैं, को उस शिक्षा संस्थान से बाकी बची हुई 30-50% तक क्रेडिट हासिल करनी होगी जहां उन्होंने पंजीकरण करवाया है।
- UGC यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र मुख्य विषय क्षेत्र में प्राप्त होने वाली न्यूनतम क्रेडिटों को हासिल करें।

चौथा राष्ट्रीय सीरम विज्ञान सर्वेक्षण

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने राष्ट्रीय सीरम विज्ञान सर्वेक्षण के चौथे संस्करण को जारी किया है।

प्रमुख निष्कर्ष

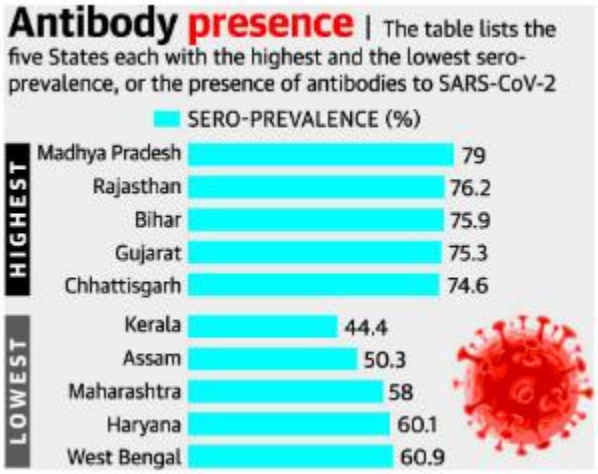

- **मध्य प्रदेश में कोरोनावायरस के प्रति सबसे ऊंची सेरोप्रेवेलेंस % (रोगजनक की उपस्थिति) अथवा प्रतिपिंडों की उपस्थिति है, जिसके बाद राजस्थान (76%) और बिहार** (75%) **का स्थान है।**
- **21 राज्यों के मध्य में केरल में सेरोप्रेवेलेंस सबसे कम यानि 44% है।**
- केरल के बाद, सबसे कम प्रतिपिंड की उपस्थिति असम (50%) महाराष्ट्र (58%) में है।

जांच

- **ELISA परीक्षण का प्रयोग प्रतिपिंडों को जांचने में किया जाता है। इसकी प्रतिपिंड उपस्थिति के चिन्हांकन में भी भूमिका है।**

बच्चों में प्रतिपिंड

- सर्वेक्षण में यह भी देखा गया कि आधे से ज्यादा बच्चे (छह से 17 वर्ष) सेरो धनात्मक थे और सेरो उपस्थिति शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान थी।
- यह भी पाया गया कि 85% स्वास्थ्यकर्मियों (HCWs) में प्रतिपिंड हैं और लगभग 1/10 लोगों का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है।

निमोनिया

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, भारत के रजिस्ट्रार जनरल की नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट (2010-13) के अनुसार, निमोनिया का 16.9% शिशु मृत्युओं में योगदान है और यह बाल मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है।

निमोनिया के बारे में जानकारी

- निमोनिया फेंफड़े का एक गंभीर श्वसन संक्रमण है।
- यह एक निमोकोकल रोग भी है जो स्ट्रेप्टोकोकस अथवा निमोकोकस कहलाने वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है।

कारण

- निमोनिया कई संक्रामक एजेंटों की वजह से होता है, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया और कवक शामिल हैं।

इनमें से सबसे सामान्य हैं:

- **स्ट्रेप्टोकोकस निमोनेई** - बच्चों में बैक्टीरिया से निमोनिया होने का सबसे सामान्य कारण;
- **हीमोफिलस इंफ्लूएंजेई टाइप b (Hib)** - बैक्टीरिया से निमोनिया होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण;

- **रिस्पेरेटरी सिन्काइटियल वायरस निमोनिया का सबसे सामान्य वायरल कारण** है;
- वे शिशु जो HIV से संक्रमित होते हैं, उनमें निमोसिस्टिस जिरोवेसी निमोनिया का सबसे सामान्य कारण है, जो HIV से संक्रमित शिशुओं की निमोनिया से होने वाली सभी एक-चौथाई मृत्युओं के लिए जिम्मेदार है।

सरकार की पहलें

निमोनिया एवं अतिसार नियंत्रण और निवारण एकीकृत कार्ययोजना (IAPPD)

- इसे 2014 में लागू किया गया था जिसका उद्देश्य पांच वर्ष से नीचे होने वाली मृत्युओं से संबंधित अतिसार और निमोनिया के निवारण की ओर सहयोगात्मक प्रयासों को करना है।

निमोनिया को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्ययोजना (SAANS)

- इसे 2019 में लागू किया गया।
- SAANS पहल अपने में तीन आयामी रणनीतियों को शामिल करती है:
    a. बाल निमोनिया के उपचार और प्रबंधन पर दिशा-निर्देश जिसमें ANM द्वारा एमॉक्सीसिलिन के प्रयोग को शुरू करना है।
    b. निमोनिया की पहचान और मानकीकृत प्रबंधन के लिए सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण।
    c. परिवारों और माता-पिता के मध्य बाल निमोनिया के प्रति ज्यादा जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए संचार अभियान।
- **सरकार का लक्ष्य 2025 तक बच्चों के मध्य निमोनिया से होने वाली मृत्युओं को प्रति एक हजार जिंदा जन्मों में तीन से भी कम करना है।**

वैश्विक पहल

वैश्विक निमोनिया निवारण एवं नियंत्रण कार्ययोजना (GAPP)

- WHO और UNICEF ने वैश्विक निमोनिया निवारण एवं नियंत्रण कार्ययोजना (GAPP) की शुरुआत की है।

लक्ष्य

- इसका लक्ष्य बच्चों में निमोनिया से संरक्षण, बचाव और उपचार के हस्तक्षेपों के संयोजन के साथ निमोनिया नियंत्रण को बढ़ाना है।

नोट:

- **प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है।**

फास्फेटिक शैल

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक, स्रोत- AIR)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, भारत ने फास्फेटिक शैलों के देशी भंडारों की खोज की है जो खाद उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर एक कदम है।

फास्फेटिक शैलों के बारे में जानकारी

- इनमें फास्फोरस की मात्रा काफी ज्यादा होती है।
- ये उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणियों में पाए जाते हैं। कुछ फास्फेट शैलों का प्रयोग जानवरों के लिए कैल्सियम फास्फेट पोषणीय संपूरकों को बनाने में किया जाता है, जबकि विशुद्ध फास्फोरस का प्रयोग औद्योगिक उपयोग के लिए रसायन बनाने के लिए किया जाता है।
- **लेकिन, फास्फोरस का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग कृषि के लिए खादों का उत्पादन करना है।**

फास्फोरस शैलों के बारे में जानकारी

- फास्फोरस शैल अथवा फास्फेट शैल गैर प्रसंस्कृत अयस्क होते हैं।
- फास्फेट शैल भंडार अवसादी (जल अथवा वायु द्वारा गाद जमाव से निर्माण) अथवा आग्नेय (लावा अथवा मैग्मा से ठोस निर्माण) हो सकते हैं।

- लेकिन, फास्फोरस प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका खनन करके और फास्फेट भंडारों से फास्फेट को प्राप्त करना है।

ये कहां पाए जाते हैं?

- फास्फेट शैल के भंडार अवसादी अथवा आग्नेय हो सकते हैं और इनका अवसादी भंडारों से खनन किया जाता है जो समुद्री वातावरण में फास्फेट समृद्ध पदार्थों के जमाव से निर्मित होते हैं।
- बड़े अवसादी भंडार **चीन, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। इस बीच में, आग्नेय भंडारों का ब्राजील, कनाडा, फिनलैंड, रूस, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में खनन किया जाता है।**

भारत में फास्फोरस

- फास्फेट शैलों का मुख्य रूप से भारत के दो राज्यों में उत्पादन होता है, जिनके नाम राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं।
- ये भंडार राजस्थान, प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग, हीरापुर (मध्य प्रदेश), ललितपुर (उत्तर प्रदेश), मसूरी सिन्क्लाइन और कुडप्पा बेसिन (आंध्र प्रदेश) में पाए जाते हैं।

उपयोग

पौधों में फास्फोरस

- यह पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और क्षय होती हुई मृदा उर्वरता को बनाए रखने में सहायता देता है।
- **यह पूरे पौधे में ऊर्जा के हस्तांतरण और भंडार को भी सुगम बनाता है।**

कृषि के लिए फास्फोरस का महत्व

- फास्फोरस का स्थानापन्न कोई अन्य खनिज नहीं है, क्योंकि यह कई कारणों से कृषि में महत्वपूर्ण है।
- यह पौधों के प्रकाश संश्लेषण और ऊर्जा हस्तांतरण में प्रमुख भूमिका अदा करता है।
- आगे, यह बीज और जड़ के उत्पादन के लिए जरूरी है।
- यह प्रारंभिक पौध परिपक्वता और डंठल की मजबूती को बढ़ावा देता है।
- यह पौधों की जड़ों में लगने वाले रोगों के प्रति भी प्रतिरोधक होता है।

राष्ट्रीय किसान डाटाबेस

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- कृषि, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान डाटाबेस के गठन की योजना की घोषणा की है।

राष्ट्रीय किसान डाटाबेस के बारे में जानकारी

- **सरकार की योजना राष्ट्रीय किसान डाटाबेस के गठन की है जिसमें डिजिटल भूमि अभिलेख शामिल होंगे और यह ऑनलाइन एकल साइन-ऑन सुविधाएं को सुगम बनाएगी।**
- इसका लक्ष्य उपलब्ध आंकड़े का लाभ लेकर किसानों की आय में वृद्धि करना है। साथ ही यह आंकड़ों पर आधारित हलों का विकास करेगा जिससे इनपुट कीमतें घट जाएं, किसानी करने में सुगमता सुनिश्चित हो, गुणवत्ता में सुधार हो और किसान अपने खेत के उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें।
- प्रारंभ में यह डाटाबेस केवल भूमि स्वामित्व वाले किसानों को ही अपने में शामिल करेगा।
- भूमिहीन और किरायेदार किसानों को डाटाबेस से बाहर रखा जाएगा।

महत्व

- इस डाटाबेस का प्रयोग सरकार द्वारा उच्च क्षमता के साथ लक्षित सेवा वितरण के लिए किया जाएगा। साथ ही इसका प्रयोग विषय केंद्रित और समयबद्ध तरीके से भी होगा।
- इसकी सार्वभौमिक पहुँच है और यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, मौसम के बारे में सूचना, बीमा सुविधा और अन्य चीजों के अतिरिक्त पड़ोसी प्रचालन तंत्र सुविधाओं पर सूचना जैसी सेवाएं प्रदान करेगा।
- **राष्ट्रीय किसान डाटाबेस एग्रीस्टैक के कोर के रूप में कार्य करेगा।**

एग्रीस्टैक के बारे में जानकारी

- यह तकनीकों और डिजिटल डाटाबेस का संग्रहण है जो किसानों और कृषीय क्षेत्र पर केंद्रित होता है।
- यह किसानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म सृजित करेगा जिससे वे पूरी कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में शुरू से अंत तक सेवा प्राप्त कर सकें।

- यह केंद्र के डिजिटल भारत कार्यक्रम के अनुरूप ही है, जिसका लक्ष्य भारत में डाटा को डिजिटाइज़ करने के लिए वृहद् कोशिश करना है, जिसमें भूमि अधिकार से लेकर चिकित्सा रिकॉर्ड तक शामिल हैं।
- सरकार **भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NRLMP)** का भी क्रियान्वयन कर रही है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रत्येक किसान के पास एक विशिष्ट डिजिटल पहचान (किसान की पहचान) होगी जिसमें व्यक्तिगत विवरण, उनके द्वारा जोती जाने वाली भूमि के बारे में सूचना, साथ ही उत्पादन और वित्तीय विवरण भी शामिल होंगे।
- **प्रत्येक ID व्यक्ति के डिजिटल राष्ट्रीय ID आधार से जुड़ी होगी।**